रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938
No. 546] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 770 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में सुरक्षा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने, -

(1) स्तंभ 10 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "लागू नहीं होता" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(2) स्तंभ 11 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(3) स्तंभ 12 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात्:-

"प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी:

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन - 5400 रु. या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और सुरक्षा पर्यवेक्षी का तीन वर्ष का अनुभव हो।

आवेदक जिसके पास आग बुझाने के कौशल का प्रशिक्षण और अनुभव है, को अधिमान दिया जाएगा; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन - 4800 रु या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की हो, और सुरक्षा पर्यवेक्षी का तीन वर्ष का अनुभव हो।

आवेदक जिसके पास आग बुझाने के कौशल का प्रशिक्षण और अनुभव है, को अधिमान दिया जाएगा; या

(iv) जिन्होंने, मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन - 4600 रु या समतुल्य में सात वर्ष नियमित सेवा की हो, और सुरक्षा पर्यवेक्षी का तीन वर्ष का अनुभव हो।

आवेदक जिसके पास आग बुझाने के कौशल का प्रशिक्षण और अनुभव है, को अधिमान दिया जाएगा।

टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3. - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों, पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर रखा जाएगा"

(4) स्तंभ 13 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "लागू नहीं होता" प्रविष्टियां रखी जाएगी।

[फा. सं. 1(4)/2009- कार्मिक-3]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण. - मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 916 (अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए:

(i) सा. का. नि. 727(अ), तारीख 29 सितंबर, 2011;

(ii) सा. का. नि. 310(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2012;

(iii) सा. का. नि. 565(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2016

G.S.R. 770 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009, against serial number 10 relating to the post of Security Officer,-

(1) under Column 10, for the existing entries, the entries "Not applicable" shall be substituted;

(2) under Column 11, for the existing entries, the entries "Deputation or Absorption or Re-employment (including short-term contract)" shall be substituted;

(3) under Column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings:

(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) With five years regular service in PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security.

Preference will be given to the applicant having training or experience in the fire fighting skill; or

(iii) With six years regular service in PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security.

Preference will be given to the applicant having training or experience in the fire fighting skill; or

(iv) With seven years regular service in PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and three years experience of supervising security.

Preference will be given to the applicant having training or experience in the fire fighting skill.

Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- For the purpose of appointment on "Deputation or Absorption or Re-employment" basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay of pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scales is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 3.- The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-Servicemen:

The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment.";

(4) under Column 13, for the existing entries, the entries "Not applicable" shall be substituted.

[F.No.1 (4)/2009-Pers.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 916 (E), dated the 22nd December, 2009 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) G.S.R. 727(E), dated the 29th September, 2011;
(ii) G.S.R. 310(E), dated the 19th April, 2012;
(iii) G.S.R. 565(E), dated the 22nd August, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.